- पर्याप्त जनजागरूकता फैलाकर प्रत्येक घर/दुकान से कूड़ा संग्रहण शुल्क लिया जायेगा। शुल्क के सापेक्ष उन्हें निर्धारित रसीद उपलब्ध करायी जायेगी (रसीद का प्रारूप संलग्न)। आर०आर०सी०/वेस्ट सेग्रीगेशन शेड मे छटनी के उपरान्त प्राप्त उपयोगी वस्तुए एव अकार्बनिक कचरे यथा प्लास्टिक, लोहा, मेटल, काच आदि तथा कम्पोस्टिंग से तैयार खाद की बिक्री के साथ-साथ प्राप्त उपभोक्ता शुल्क की धनराशि को ओ०एस०आर० बैंक खाते मे जमा किया जायेगा तथा मासिक प्राप्तियों के अनुरूप श्रमिको/स्वय सहायता समूहो पर होने वाले व्यय का समायोजन किया जायेगा। जिन ग्राम पचायतो उक्त गतिविधि से आवश्यकतानुसार आय का सृजन नही हो सकेगा, वहा यथावश्यक नियमानुसार वित्त आयोग/मनरेगा आदि की धनराशि से गतिविधिया सचालित की जायेगी।
- कचरा एकत्रीकरण वाहन/ई-रिक्शा का रूट चार्ट, चालक का नाम, नम्बर तथा कचरा कलेक्शन का समय आदि ग्राम पंचायत के प्रत्येक मजरे, सार्वजनिक स्थानो तथा विशेषकर आर०आर०सी०/वेस्ट सेग्रीगेशन शेड, पचायत भवन पर वॉल पेन्टिंग के माध्यम से प्रदर्शित किया जायेगा तथा लिखित रूप मे सम्बन्धित को उपलब्ध कराया जायेगा। कचरा एकत्रीकरण की गतिविधियों यथा- रूट चार्ट के अनुसार कचरा संग्रहण शुल्क संकलन आदि की नियमित रिकर्ड कीपिंग के लिये लॉग बुक/रजिस्टर की व्यवस्था की जायेगी, जिसका उत्तरदायित्व ग्राम पंचायत पर तैनात सचिव ग्राम पंचायत एव पचायत सहायक का होगा।
- ग्राम पंचायत मे कूड़ा संग्रहण मे शिकायत अथवा माग हेतु एक नम्बर जारी किया जाये, जिस पर सामान्य जन फोन करके अकस्मिक/विशेष स्थिति की जानकारी दे सके। इसका एक रजिस्टर भी ग्राम पंचायत पर संरक्षित किया जायेगा तथा निस्तारण की स्थिति भी इस रजिस्टर मे अंकित की जायेगी। ग्राम पचायतों मे कामर्शियल गतिविधियो एवं घरेलू स्तर पर कूड़ा संग्रहण हेतु पृथक-पृथक दरे ग्राम पंचायत की बैठक मे निर्धारित की जा सकती हैं। शुल्क संकलन हेतु ग्राम पंचायतो मे ओ०एस०आर० खाता के माध्यम से प्राप्त क्यू०आर०कोड का प्रयोग प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा व उचित होगा कि ओ०एस०आर० खाते से सम्बन्धित क्यू०आर० कोड को विशेष रूप से कचरा एकत्रीकरण वाहन/ई-रिक्शा, आर०आर०सी०/वेस्ट सेग्रीगेशन शेड, प्रत्येक मजरे, सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा किया जाये ।
- ग्राम पंचायतों मे तैयार की जा रही वर्मी कम्पोस्टिंग आदि का क्रियान्वयन स्वयं सहायता समूह/श्रमिको/ग्राम पचायत द्वारा किया जायेगा। इस हेतु किसानों से गोबर प्राप्त करने तथा वर्मी के विपणन आदि की व्यवस्था ग्राम पचायत द्वारा तय किया जा सकता है। इस सम्बन्ध मे स्पष्ट करना है कि ग्राम पंचायतें चाहें तो गोबर लेने के लिये शुल्क अथवा गोबर के बदले वर्मी कम्पोस्ट देने की भी व्यवस्था लागू कर सकती है। **इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि तैयार की जा रही वर्मी कम्पोस्ट/खाद का विपणन प्लास्टिक की थैलियों में न किया जाये।**
- कचरा संग्रहण वाहन, आर०आर०सी०/वेस्ट सेग्रीगेशन शेड के संचालन मे लगे कर्मियों के लिये हाईजीन किट यथा- एप्रेन, कैप, मास्क, सैनेटाईजर, बूट, इत्यादि की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जायेगी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक आर०आर०सी०/वेस्ट सेग्रीगेशन शेड मे फर्स्ट ऐड किट एवं साफ-सफाई की विशेष व्यवस्था की जायेगी।
- गाव के बाहर प्लास्टिक, लोहा, मेटल, कांच आदि जैसी वस्तुएं ले जाने वाली संस्था/व्यक्ति को ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव कराकर आबद्ध किया जायेगा। इस हेतु ग्राम पंचायत एवं उस व्यक्ति/संस्था के मध्य दरे एवं अन्य सुविधाओं की शर्तें स्पष्ट करते हुए एक अनुबन्ध किया जायेगा।
- ठोस अपशिष्ट प्रबधन के लिये ग्राम पंचायत द्वारा किये जा रहे कार्यों एवं कार्यरत कर्मियों के लिये दी जा रही सुविधाओं का विधिवत वॉल पेन्टिंग आर०आर०सी०/वेस्ट सेग्रीगेशन शेड पर की जायेगी।

Scanned with CamScanner